LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश,30,हजरतगंज,लखनऊ-226001 फ़ोन-0522-2628920 टेंडर पोर्टल- https://licindia.in/tender

जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड, हजरतगंज,लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेके पर दो वर्षों के संचालन हेतु
निविदा आमंत्रण

भारतीय जीवन बीमा निगम , द्वारा सील बंद लिफाफे में द्विस्तरीय निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय),जीवन भवन-2 नवल किशोर रोड,हजरतगंज ,लखनऊ में बेसमेंट एवं भूतल पर कुल 1668.56 वर्ग मीटर पब्लिक पार्किंग ठेका पर दो वर्षों के लिए संचालित करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है । जिसकी प्रथम वर्ष की आरक्षित धनराशि रू 1806000.00 का 10% रु.180600.00 (रु० एक लाख अस्सी हज़ार छह सौ मात्र) निविदा के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है । इच्छुक व्यक्ति/संस्था (जो शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी कम्पनी में ठेका पार्किंग संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव रखता है तथा निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करता हो) , उपरोक्त पते पर रु.1180/- GST सहित का भुगतान कर दिनांक 04.02.2026 से 18.02.2026 सप्ताह के सभी कार्य दिवस (अवकाश,शनिवार व रविवार को छोड़ कर) प्रातः 11 बजे से सायंकाल 03 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है । पूर्ण रूप से भरे गए निविदा प्रपत्र दिनांक 19.02.2026 तक दोपहर 12.30 बजे तक मंडल कार्यालय लखनऊ में जमा होंगे । तकनीकी बिड 19.02.2026 को सायं 3 बजे खोली जायेगी । निविदा प्रपत्र www.licindia.in/tender पर जाकर "Tender-Advertisement for public parking tender" से भी प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रक्रिया में किसी दलाल व बिचौलिया का दख़ल स्वीकार नहीं होगा । भारतीय जीवन बीमा निगम यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये प्रस्तावों को पूर्णतः /आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार या पूरी प्रक्रिया को ही किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये विलंबित,रोक या रद्द कर सकता है।

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश,30,हजरतगंज,लखनऊ-226016 फ़ोन-0522-2628920 टेंडर पोर्टल- https://licindia.in/tender

जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड, हजरतगंज,लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेका हेतु अनुसूची

1*	ठेका का नाम	भारतीय जीवन बीमा निगम ,जीवन भवन-2,नवल किशोर रोड हजरतगंज लखनऊ के बेसमेंट एवं भूतल पर 1668.56 वर्ग मीटर पब्लिक पार्किंग संचालन का 2 वर्षों का ठेका
2*	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु.1180/- GST सहित (रु.1000+18% GST)
3*	निविदा के साथड्राफ्ट के रूप में जमा की जाने वाली अग्रिम राशि	रु.180600.00 (रु एक लाख अस्सी हज़ारछह सौ मात्र)
4*	निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथिएवं पार्किंग स्थल अवलोकन	दिनांक 04.02.2026 प्रातः 11 बजे से दिनांक 18.02.2026 सायं 3 बजे तक सभी कार्य दिवस पर (अवकाश,शनिवार व रविवार को छोड़ कर)
5*	निविदा मूल्य ,अग्रिम धन राशि व उच्चतम बोली व परफोर्मेंस मनी जमा करने का तरीका	सभी धन राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जो लखनऊ में भुगतान योग्य (payable at Lucknow)
6*	निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 19.02.2026 दोपहर12.30 बजे तक
7*	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 19.02.2026 सायं 3 बजे
8*	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	बाद में सूचित किया जाएगा
9*	पार्किंग परिसर का कब्ज़ा अवधि	उच्चतम निविदा दाता द्वारा निविदा के साथ जमा की गयी अग्रिम धन राशि को उच्चतम बोली में समायोजन सहित उच्चतम बोली की धन राशि का 50% निविदा स्वीकृत /कार्यादेश निर्गत होने/अनुबध के समय जमा करना होगा .जो वित्तीय बोली के 30 दिन के अन्दर होना चाहिए
10*	ठेका/ पट्टा अवधि	संविदा/अनुबध के शर्तों के अनुसार दो वर्ष
11*	निविदा की वैधता	तकनीकी बिड खोलने की तिथि से 06 माह तक

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

परिशिष्ट -1

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश,30,हजरतगंज,लखनऊ-226016 फ़ोन-0522-2628920 टेंडर पोर्टल- https://licindia.in/tender

सामान्य व तकनीकी सुचनाए (तकनीकी निविदा) जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड, हजरतगंज,लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेका हेतु

क्रम स.	निविदा हेतु आवश्यक सूचनाये	निविदादाता द्वारा भरी जाये
1.	फ़र्म/संगठन का नाम	
2.	स्थिति(प्रोपराइटर/पार्टनर/पा.लि. कम्पनी) प्रपत्र संलग्न	
3.	पत्राचार/स्थानीय पता/फ़ोन/मोबाइल नंबर/ email ID (स्वसत्यापित/प्रमाणित छायाप्रति संग्लन करे)	
4.	प्रधान कार्यालय पता फ़ोन/मोबाइल नंबर/ email ID(स्वसत्यापित/प्रमाणित छायाप्रति संग्लन करे)	
5.	फ़र्म का पैन कार्ड(सत्यापित प्रपत्र संलग्न)	
6.	GST पंजीकरण संख्या (प्रपत्र संलग्न)	
7.	दिनांक जब से फ़र्म/संगठन प्रारम्भ हुई है		
8.	सभी प्रोपराइटर का नाम व मोबाइल नंबर	
9.	आधार नंबर (स्वसत्यापित/प्रमाणित आधारकी छायाप्रति संग्लन करे	
10.	विगत तीन वर्षो का टर्नओवर वितीय वर्ष (2022-23,2023-24,2024-25)	
11.	अन्तिम तीन वर्षो का C.A. द्वारा TurnOverCertificate	
12.	पंजीकरण संख्या(कम्पनी अधिनियम1956 के अंतर्गत) छायाप्रति संग्लन करे	

13.	मुख्य कार्यपालक का नाम,वर्तमान पता,मोबाइल नंबर/टेलीफोन/email ID	
14.	बैंक का नाम,पता,टेलीफोन तथा IFSC Code	
15.	क्या पुलिस द्वारा,पता व फ़र्म/संगठन के कार्यरत सदस्यों की जाँच प्रमाणित हुई है (छाया प्रति संलग्न करे)	
16.	भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी/अधिकारी सेसम्बंधित है तो नाम व सम्बन्ध	
17.	यदि फ़र्म/सगठन की अन्य कोई विशेषता देना चाहते है तो	
18.	बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण	
19.	पार्किंग के ठेकों के अनुभव का उल्लेख करें तथा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।	

<u>नियम व शर्तें</u>

भारतीय जीवन बीमा निगम , मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश,30,हजरतगंज,लखनऊ-226016 , के अंतर्गत पब्लिक पार्किंग जीवन भवन-2 बेसमेंट एवं भूतल)कुल एरिया 1668.56 वर्ग मीटर,(नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ को ठेके पर दो वर्षों के लिए संचालित करने हेतु नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं।

पार्किंग स्थल का नाम	पथम वर्ष की आरक्षित धनराशी के आधार पर आरक्षित निविदा धनराशि	प्रथम वर्ष की आरक्षित धनराशी में 05 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त द्वितीय वर्ष हेतु आरक्षित निविदा धनराशि	निविदा के साथ ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि (प्रथम वर्ष की आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष)
जीवन भवन-2 बेसमेंट एवं भूतल (कुल एरिया 1668.56 वर्ग मीटर), नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ	रु॰ 1806000.00	रु॰ 1896300.00	रु॰ 180600.000

1- पब्लिक पार्किंग स्थल जीवन बीमा भवन फेज 2 की निविदा भारतीय जीवन बीमा निगम की विभागीय वेबसाइट www.licindia.co.in व समाचार पत्रों में आमंत्रित की जाएगी ।

2- **निविदा द्विस्तरीय तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता को स्वहस्ताक्षरित निम्न अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा। बिना पूर्ण अभिलेखों के निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।**

2 (क) - निविदादाता को निविदा के साथ अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति ।

2 (ख) - निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति।

2 (ग) - आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति।

2 (घ) - जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित / प्रमाणित छायाप्रति ।

2 (ड) - इस आशय का ₹10.00 का प्रथक – प्रथक का स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र कि निविदादाता को पूर्व में भारत वर्ष के किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी विभाग / निगम / प्राधिकरण द्वारा ब्लैक लिस्ट (काली सूचिबद्ध) नहीं किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग भारत के किसीभी न्यायालय में पंजीक्रत नहीं है। निविदादाता के पास पैन कार्ड स्वयं का अथवा फ़र्म का एवं G.S.T पंजीकन होना अनिवार्य होगा। निविदादाता को निविदा के साथ 50 लाख का वैध हैसियत प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य होगा।

2 (च) - इस आशय का ₹10.00 का स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र की निविदादाता का कोई संबंधी/ रिश्तेदार भारतीय जीवन बीमा निगम लखनऊ में सेवारत नहीं है ।

2 (छ) - निविदादाता द्वारा इस आशय का ₹10 का के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र की उसपर सरकारी एवं अर्धसरकारी शासकीय देयताये जैसे आयकर, जीएसटी अथवा अन्य वसूली की धनराशि शेष नहीं है।

2 (ज) - निविदादाता द्वारा विगत 3 वित्तीय वर्षों (2022 -23, 2023 -24 एवं 2024 – 25) की आयकर की रिटर्न की छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2(झ) -निविदादाता को किसी भी विभाग में पार्किंग संबंधी कार्य किया हो अथवा वर्तमान में कार्यरत हो तो उस विभाग से पार्किंग संबंधी अदेयता प्रमाण पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

2 (ट) - निविदादाता के पास टर्न ओवर निविदा की लागत का न्यूनतम 50% या उससे अधिक का होना चाहिए ।

2 (ठ) - निविदादाता को विगत 3 वित्तीय वर्षों (2022 -23, 2023 -24 एवं 2024 – 25) की सी.ए. द्वारा टर्नओवर की छाया प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

2 (ड.) - निविदादाता को निविदा के साथ निविदा लागत की आरक्षित धनराशि के 10% के बराबर धरोहर धनराशि जो "भारतीय जीवन बीमा निगम" के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow में भुगतान योग्य जमा करना अनिवार्य होगा ।

2 (ढ) - निविदादाता को निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य (रु 1000 रुपए +18 % जीएसटी) रु 1180/- प्रति निविदा डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा किया जाएगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा मूल्य किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। पार्किंग हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि से अधिक अंकित वित्तीय निविदा अंकित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार की जाएगी।

3- जो निविदादाता तकनीकी रूप से अर्ह होंगे उन्ही की वित्तीय निविदा खोली जाएगी ।

4- निविदादाता को वित्तीय निविदा में निम्न नियम एवं शर्तों को पूर्ण करना होगा।

4(क) - सफल उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा निविदा लागत की धनराशि के 10% के बराबर जमानत धनराशि (परफॉर्मेंस मनी) का डिमांड ड्राफ्ट जो "**भारतीय जीवन बीमा निगम**" के नाम **payable at Lucknow** में भुगतान योग्य अनुबंध के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

4 (ख) - सफल उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत असफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई आरक्षित 10 % धनराशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

4 (ग) - उच्चतम निविदादाता (H1 Bidder) द्वारा उच्चतम बोली की धनराशि का 50% धनराशि निविदा स्वीकृत / कार्यदेश निर्गत होने / अनुबंध के समय भा° जी° बी° निगम के नाम डिमांड ड्राफ्ट लखनऊ में भुगतान योग्य जमा करना होगा । जिसमें निविदा में भाग लेने हेतु जमा की गयी न्यूनतम आरक्षित 10% की धनराशि को भी उक्त 50% धनराशि में समायोजित किया जाएगा ।
शेष 50% की धनराशि कार्यदेश जारी होने के 5 माह के अंदर "**भारतीय जीवन बीमा निगम**" के नाम डिमांड ड्राफ्ट **payable at Lucknow** में भुगतान योग्य जमा जमा करना अनिवार्य होगा । यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की जाती है तो रु॰ 3000/- प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दंड के रूप में निविदादाता से वसूल किया जाएगा। उक्त नियम एवं शर्तों का पालन न करने पर जमा जमानत धनराशि (परफॉरमेंस मनी) जब्त करते हुए निविदादाता से किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा ।

4(घ) - सफल निविदादता द्वारा निविदा स्वीकृति उपरांत निर्धारित स्टाम्प शुल्क तथा जमानत राशि एवं अनुबद्ध पंजीकण शुल्क भा° जी° बी° निगम में जमा करने के उपरांत अनुबंध पंजीकृत होने पर ही विभाग द्वारा कार्यदेश निर्गत किया जाएगा । निविदा स्वीकृति होने के प्रश्च्यात स्वीकृति सम्बन्धी सूचना निविदादाता को प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार 4 प्रतिशत धनराशि के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शर्तो का अनुबंध निष्पादित करना होगा । यदि स्टाम्प शुल्क की राशी में कोई कमी/वृद्धि भविष्य में आती है तो उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बंधित निविदादाता का होगा । बिना अनुबंध निष्पादित किये पार्किंग शुल्क वसूली का कार्यदेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा । अनुबंध न करने पर वसूली/पार्किंग को अवैध घोषित करते हुए निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी । अनुबद्ध पंजिकृत होने के लिए होने वाले व्यय स्टम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन चार्ज व अन्य विधिक व्यय निविदादाता को वहन करना होगा ।
4(ड) चयनित निविददाता को पार्किंग संचालन हेतु वार्षिक स्वीकृत धनराशि में प्रत्येक वर्ष क्रमशः 5% की उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी । 5 % वृद्धि के उपरांत निर्धारित धनराशि का 50 % एक माह पूर्व जमा करने के उपरांत ही अगले वर्ष हेतु निविदा का अनुबंध पंजीकरण / नवीनीकरण किया जाएगा तथा अवशेष 50% धनराशि अगले 5 माह में जमा करनी होगी ।
4(च) - चयनित निविदादाता की निविदा 2 वर्ष के संतोषजनक संचालन के बाद अगले 2 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
4 (छ) - शर्तों के अनुसार उक्त कार्य कीअवधि 2 वर्ष की होगी , परंतु किसी भी नियम / शर्त का उल्लंघन पाये जाने की दशा में उक्त अवधि से पूर्व निविदा निरस्त करने का अधिकार **वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक** भा . जी . बी . निगम , लखनऊ में नीहित होगा ।

5--सफल निविदा दाता को प्रथम वर्ष की बोली गयी धनराशि में 5% वृद्धि के उपरांत धनराशि 4 (ड) के अनुसार ठेका प्रारम्भ तिथि से 10 माह के पश्चात तीस दिन के अन्दर 'भारतीय जीवन बीमा निगम 'के नाम डिमांड ड्राफ्ट payable at Lucknow जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा एक वर्ष पूर्ण होते ही ठेका स्वतः समाप्त हो जाएगा।
6 -निविदादाता द्वारा भा . जी . बी . निगम, मंडल लखनऊ से किए गए अनुबंध के अनुसार किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा अन्य विवाद की स्थिति में पार्किंग ठेका अस्वीकार करने / निरस्त करने, धरोहर राशि जप्त करने/ ठेका उच्च ऑफर पर देने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय लखनऊ में निहित होगा । वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम, सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा । जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती देने से पूर्व निविदा की सभी शर्तों का पालन करने हेतु शपथपत्र देते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम, के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा । किसी भी वाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र माननीय सिविल न्यायालय लखनऊ परिक्षेत्र होगा ।
7-.निविदादाता के पास शासकीय विभागों /अर्धशासकीय विभागों/निजी कंपनी में पार्किंग के ठेके के कार्यों का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा

8 - प्राकृतिक आपदा, कर्फ्यू अथवा प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अथवा यातायात व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पार्किंग बंद रहने पर यदि निविदादाता को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए भा. . जी . बी . निगम उत्तरदायी नहीं होगा और निविदादाता द्वारा क्षति को वहन किया जाएगा ।
9- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित चोहादी स्थल में ही निर्धारित दरो के अनुसार पार्किंग शुल्क वसूली का अधिकार प्रात: 8.00 बजे से रात्रि 10.00 तक निविदादाता का होगा तथा पार्किंग स्थल पर वसूली करने हेतु निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मियों को पूर्ण विवरण सहित सत्यापित फोटो युक्त परिचय पत्र कार्मिक को गले में पहनना अनिवार्य होगा ।
10- निविदादाता के लिए आवश्यक है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित पार्किंग दरो के अनुसार ही वाहन स्वामी से पार्किंग शुल्क की वसूली Fast Tag/ QR Code/ टोकन हैंड हेल्ड मशीन के द्वारा की जाएगी। सफल निविदादाता को एक वर्ष तक पब्लिक पार्किंग ठेका का संचालन करना अनिवार्य होगा । ठेका प्रारम्भ तिथि से 11 माह के पश्चात एक माह पूर्व नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा । पार्किंग शुल्क वसूली हेतु मशीनों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। बिना कूपन/कम्पूटरिकृत इंट्री बिना कोई भी वाहन पार्किंग स्थल पर खड़ा नहीं किया जाएगा । पार्किंग सम्बन्धी दरे निम्नवत है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम, **जीवन भवन -2 बेसमेंट एवं भूतल, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ**	
भूतल / भूमिगत पार्किंग हेतु निर्धारित पार्किंग शुल्क रशीद सं०.......... ठेकेदार का नाम :- मोबाइल नंबर :- पार्किंग दरे :-	
कार एवं चार पहिया वाहन	रु° 30.00 दो घंटों के लिए एवं इसके उपरांत रु° 15.00 प्रति घंटा
स्कूटर/मोटर साइकिल/ दो पहिया वाहन	रु° 15.00 दो घंटों के लिए एवं इसके उपरांत रु° 07.00 प्रति घंटा
कूपन जारी करने की तिथि............	समय ....

निर्धारित दरो से अधिक की वसूली किए जाने, निर्धारित दरो का कूपन न प्रयोग करने, पार्किंग कर्मियों द्वारा परिचय पत्र न लगाने अथवा अनियमितता के संबंध में की गई शिकायत सही पाए जाने पर निविदादाता से रुपए 50,000/- अथवा निविदा लागत से 5% जो भी अधिक हो, का जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियम एवं शर्तो का पुन: उल्लंघन करने पर पार्किंग निविदा निरस्त कर संपूर्ण धनराशी जब्त कर ली जाएगी ।

11- पार्किंग तिथि से 30 दिनों के बाद खड़ी लावारिस वाहनों को पुलिस के सुपुर्द करना होगा।

12 -पार्किंग स्थल पर खड़े होने वाले वाहनों की गहन जांच वहां खड़े होने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कराने की व्यवस्था अपने व्यय पर निविदादाता को करना होगा।
पार्किंग स्थल की साफ-सफाई की व्यवस्था एवं पर्याप्त प्रकाश, CCTV कैमरा की व्यवस्था सम्बंधित निविदादाता को करनी होगी।

13 - निविदा की अवधि में शासन/ नगर निगम, लखनऊ/लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं माननीय न्यायालय आदि के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर/शुल्क आदि की अदायगीका उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

14 - निविदा उस समय तक स्वीकृति नहीं समझी जाएगी जब तक भा. जी. बी. निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति न दे दी जाए ।

15 -निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर 4 X 2 फुट अथवा 4 X 3 फुट के कम से कम दो सूचना पट मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा, जिस पर निविदादाता का नाम, पता, मोबाइल नंबर अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा रुपए 10000/- का अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा ।

16- माननीय न्यायालय अथवा जनहित में भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ/ लखनऊ विकास प्राधिकरण / नगर निगम, लखनऊ /शासन/ द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत निविदा निरस्त होने की दशा में निविदादाता बिना किसी आपत्ति के भूमि/परिसर को खाली करके कब्जा तत्काल भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप देगा । ऐसी दशा में निविदादाता की शेष समय की अनुपातिक धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। किंतु जनहित में यदि कुछ अवधि की कटौती आवश्यकता अनुसार भा.जी.बी.निगम /शासन/ लखनऊ विकास प्राधिकरण/नगर निगम, लखनऊ अथवा माननीय न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत की जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ पर नहीं होगा, न हीं निविदादाता द्वारा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जाएगा ।

17-निविदादाता और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्त्व निविदादाता का होगा। निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। वाहन और उसमें रखे किसी सामान अथवा किसी भी एसेसरीज के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा। पार्किंग में पार्क की गयी गाड़ियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निविदादाता की होगी।

18- यदि पार्किंग स्थल पर कब्जा सम्बंधित निविदादाता को दिए जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्ष द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में निविदादाता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम, लखनऊ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । ऐसे प्रकरणों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक में निहित होगा ।

19 – निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल को निर्धारित अवधि के बीच में छोड़ देने पर जमा राशि (परफॉर्मेंस मनी) / जमा समस्तराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। विभाग को जो भी क्षति होगी क्षतिपूर्ति भू राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जाएगी।

20 – सफल बोलीदाता किसी भी रूप रूप या आकार में या किसी भी विचार के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को पार्किंग स्टैंड चलाने का विशेषाधिकार / उप किराए पर नहीं देगा और/ या हस्तांतरित नहीं करेगा। यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति को उप किराए पर दिया गया है या हस्तांतरित किया गया है तो उचित कारण बताओ नोटिस देने के बाद वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक को अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।

21– भूतल/ बेसमेंट पार्किंग के निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह पार्किंग स्थल से संबंधित विद्युत बिल मय विद्युतमीटर किराया के साथ व उपभोग किये गए विद्युत खपत मूल्य एवं अन्य देयो का स्वयं भुगतान करके बिल की प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, लखनऊ के संपदा विभाग में उपलब्ध कराएगा । पार्किंग स्थलों पर लगे उपकरणों का रखरखाव और उसकी मरम्मत आदि निविदादाता द्वारा स्वयं कराया जाएगा । शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं से कराई जाएगी ।

22 – पार्किंग स्थल में निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा हैंडहेल्ड मशीन, बूम बैरियर, ANPR (Automatic Number Plate recognition), CCTV Camera/ Wi-Fi लगवाना/अनुरक्षण करना एवं उक्त से सम्बंधित सभी देयकों का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा तथा उसमे सेव DVR की प्रति निविदादाता/ ठेकेदार को सुरक्षित रखना होगा । सक्षम अधिकारी द्वारा मागे जाने पर रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना होगा । पार्किंग संचालन हेतु कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर उच्च गुणवता वाली वर्दी दिया जाना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा एलेक्ट्रोनिक POS मशीन, QR कोड, फास्ट टैग, UPI के माध्यम से ही पार्किंग शुल्क वसूल करना अनिवार्य होगा।

23- पार्किंग स्थल पर लगाए गए उपकरणों व भवन का रख-रखाव/ मरम्मत आदि निविदादाता / ठेकेदार द्वारा स्वयं कराई जाएगी । पार्किंग में बसों व अन्य भारी वाहन की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी ।

24 - नगर निगम प्रशासन / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भविष्य में पार्किंग शुल्क वसूली के संबंध में यदि कोई उपविधि/नीति बनाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भा.जी.बी.निगम, लखनऊ में निहित होगा । इस संबंध में निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/ विरोध नहीं किया जाएगा ।

25 - निविदा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निविदा को स्थगित करना या निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भा.जी.बी. निगम लखनऊ में नीहित होगा । इसके विरुद्ध किसी भी निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायलय में वाद दाखिल नहीं किया जाएगा ।

26 - किसी भी निविदा को निरस्त करने अथवा बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भा.जी.बी. निगम लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में नीहित है जो सर्वमान्य है ।

27 - निविदादाता द्वारा भुगतान , जुर्माना तथा नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा ।

28 - पार्किंग स्थल में लगे फायर सेफटी यंत्र को प्रतिदिन कार्य करने की स्थिति में ठीक रखना होगा तथा समय -समय पर फायर विभाग से NOC प्राप्त किए जाने का दायित्व संबन्धित – निविदादाता का होगा ।

29- संदिग्ध वाहन/वाहन चालकों की सूचना तत्काल पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा जिसका उत्तरदायित्व पार्किंग संचालक का होगा ।

30 -पार्किंग स्थल से वाहन चोरी की दशा में वाहन मालिक कंज़्यूमर फोरम में वाद दायर कर सकता है तथा कंज़्यूमर फोरम द्वारा लिया गया निर्णय ही निविदादाता को मान्य होगा ।

31 - पार्किंग स्थल पर नेशनल ग्रीन त्रिबुनल (एनजीटी) व अन्य माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा ।

32 - पार्किंग स्थल पर इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाएगा ।

33 - उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का अनुरक्षण एवं अनुपालन) नियमावली 2025 के सभी उपबंधों का अनुपालन निविदादाता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । यदि किसी बिन्दु पर उक्त नियमावली और निविदा शर्तों में भिन्नता पायी जाती है तो उक्त नियमावली के उपबंध ही सर्वमान्य होंगे।

निविदादाता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में भा.जी.बी.निगम को अधिकार होगा कि वह बिना किसी भी पूर्व नोटिस के ठेका निरस्त कर दे तथा निविदादाता द्वारा जमा धनराशी जब्त कर ले । इस संबंध में निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/ विरोध नहीं किया जाएगा ।

मै/हम भारतीय जीवन बीमा निगम,मंडल कार्यालय लखनऊ, द्वारा जारी द्विवार्षिक पार्किंग निविदा के सभी नियम व शर्तों से सहमत है तथा निविदा प्राप्त होने के फलस्वरुप भारतीय जीवन बीमा निगम की अपक्षायो के अनुसार पूर्णत: सेवाए दूंगा।

स्थान – लखनऊ
दिनांक:

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

प्रधीकृत व्यक्ति /ठेकेदार का नाम

टेलीफोन / मोबाइल नंबर
E-mail ID-

परिशिष्ट-2

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय, जीवन प्रकाश,30,हजरतगंज,लखनऊ-226001 फ़ोन-0522-2628920 टेंडर पोर्टल- https://licindia.in/tender

जीवन भवन-2, नवल किशोर रोड, हजरतगंज,लखनऊ के पब्लिक पार्किंग ठेका हेतु

लिफाफा –II , वित्तीय निविदा
(यह निविदा सील बंद लिफाफे में दी जाये)
(यह निविदा तकनीकी निविदा की जाँच केउपरान्त खोली जाये)

निविदादाता का पासपोर्ट आकर का फोटो

निविदादाता/फ़र्म/संगठन का नाम..
सन्दर्भ सं.

संविदा का प्रकार	पूर्ण क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वार्षिक निविदा लागत मूल्य	वार्षिक ठेका मूल्य/धनराशि निविदादाता द्वारा दी गई	
			अंको में	शब्दों में
मोटरसाइकिल /स्कूटर/कार पार्किंग स्टैंड	भूतल-287.64 बेसमेंट-1003.58 खुला-377.34 कुल-1668.56	रु1806000.00		

1- धनराशी के सम्बन्ध में अंको व शब्दों में कोई भिन्नता होने पर शब्दों में उल्लिखित धनराशी मान्य होगी |
3- मै प्रमाणित करता हु कि मुझे निविदा सम्बन्धी सभी नियम/शर्ते मान्य है |

स्थान :- लखनऊ
दिनांक :- ....

निविदादाता/फ़र्म/संगठन के हस्ताक्षर व मुहर

टेलीफोन / मोबाइल नंबर
E-mail ID-